cokuk e fuxjkuh lfefr d lnL;k u fd;k jk'ku n¶rj e ifCyd vkfMV

सरिता/जागोरी

दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राशन, तेल व अन्य पदार्थ प्राप्त करने के मुख्य कानूनी प्रावधान हैं। इस संदर्भ में राशन कार्ड धारको को राशन व अन्य पदार्थ राशन दुकान से प्राप्त ना होने पर कार्ड धारक अपने स्थानीय मंडल कार्यालय से दैनिक बिक्री रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर व कैश मेमो की जांच कर सकता है। इस बावत बवाना में निगरानी समिति सदस्यों समेत 24 लोग सतर्क नागरिक संगठन के साथ 07 जुलाई 2007 को मंडल संख्या 22 में पब्लिक ऑडिट के लिए गए।

उद्देश्य :

- दैनिक बिक्री रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर व कैश मेमो की जांच करना।
- अन्य लोगों को जानकारी लेने वाले इस औजार के बारे में जानकारी मिले सके।
- राशन वितरण अधिकारी और अन्य संबंधित विभागों (सर्कल कार्यालय एवं अधिकारी) तक खबर पहुंचाना कि लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं और इस मुद्दे के प्रति गंभीर भी हैं।

समस्याएं

राशन :

- 24 लोगों में से 16 मामले ए.पी.एल. कार्ड धारकों के हैं जिन्हे महीने में अभी तक (9 लीटर तेल, 15 किलो गेहूं और 5 किलो चावल) जितना मिलना चाहिए उससे बहुत कम मिल रहा है। जबकि वितरण विभाग द्वारा लिखित में दी गई जानकारियां कुछ और बताती हैं।
- बी.पी.एल. दो कार्ड धारको को अभी तक पांच किलोग्राम चीनी मिलती है। जबकि छः किलोग्राम मिलनी चाहिए।
- अंतोदया कार्ड के पांच मामलों में मई महीने का चावल अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है।
- पब्लिक ऑडिट के लिए गए 24 लोगों में से तीन की समस्याएं ऐसी थीं जिसमें कार्ड में तेल चढ़ा है पर डिपो का नाम व संख्या अभी तक नहीं दिया गया है।

खास समस्याएं

- मुन्ना लाल ई–286, बवाना जे.जे. कालोनी के कार्ड पर एंट्री नहीं हुई है। उसे पिछले एक साल से राशन नहीं मिल रहा है।
- मीना बी–717, बवाना जे.जे. कालोनी का डुप्लिकेट राशन कार्ड बने हुए तीन महीने से ज़्यादा हो गए है। उसे राशन नहीं मिल रहा है। जबकि आर्डर के मुताबिक कार्ड बनते ही तुरन्त राशन मिलना चाहिए।

जागोरी निगरानी समिति, सतर्क नागरिक संगठन ओर बवाना के राशन कार्ड धारक निवासी पब्लिक ऑडिट के लिए राशन दफ्तर गए। वहां पर अधिकारियों का व्यवहार हम लोगों के प्रति सहयोग पूर्ण नहीं था। दफ्तर में उपस्थित अधिकारी लोगों के आने का कारण पूछे बगैर चिल्लाकर कह रहे थे कि दफ्तर बंद हो गया है। लोगों को अपने आने का कारण बताने के लिए जबरदस्ती कमरों मे घुसना पड़ा। वहां पर हम लोगों की मुलाकात दो अधिकारियों से हुई। उनसे हमें जानकारी मिली कि एफ.एस.ओ. कार्यालय में मौजूद नहीं हैं। हमने अधिकारियों को अपने आने का कारण बताया कि लोग पब्लिक ऑडिट के लिए आए हैं। उनमें से महिला अधिकारी (फूड इंस्पेक्टर), जो अभी कुछ दिन पहले ही इस विभाग में स्थानांतरित होकर आई है, का कहना था कि उन्हे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमने उनसे पूछा कि हम लोग राशन संबंधित दैनिक बिक्री रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर व कैश मेमो की जांच करना चाहते हैं। सारे रिकार्ड फोटोकॉपी के लिए गए हुए हैं। उनका जवाब था कि हम अभी कुछ दिखा नहीं सकते हैं। क्योंकि अभी एफ.एस.ओ. नहीं है। इस कार्य के लिए ज़िम्मेदार व्यक्ति एफ.एस.ओ. हैं। हमने कहा आप उनको बुलाइये हम लोग इंतजार कर सकते हैं। जब हमने अधिकारी से उनका नाम जानना चाहा तो वो अपना नाम तक बताने के लिए राज़ी नहीं थीं। हम लोगों के बहुत कहने पर वहां पर उपस्थित पुरूष अधिकारी ने हमारी फोन पर एफ.एस.ओ. से बात कराई। हमने जब एफ.एस.ओ. से फोन पर पब्लिक ऑडिट के लिए परफोरमा/संशोधित प्रपत्र के बारे में पूछा तो उनका जवाब था कि उनके कार्यालय में नहीं हैं। आप ऐसे ही प्लेन पेपर पर लिखकर दे सकते है।

कुछ सवाल

- जब आर्डर में साफ लफ्ज़ों में लिखा है कि दूसरे शनिवार को छोड़कर किसी भी शनिवार को 2 बजे से पब्लिक, पब्लिक आर्डर के लिए आ सकती है तो उस दिन ज़िम्मेदार अधिकारी मौजूद क्यों नहीं होते ?
- अधिकारियों से नाम पूछने पर नाम क्यों नहीं बताया जाता ?
- पब्लिक ऑडिट के लिए दिये गए दिनों पर दैनिक बिक्री रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर व कैश मेमो क्यों नहीं मुहैया कराया गया ?
- पब्लिक आर्डर के लिए संशोधित प्रपत्र हर मंडल में लोगों के मांगने पर आधिकारियों द्वारा क्यों नहीं दिया गया?

हमारी मांगें

- सर्कल कार्यालय में ज़िम्मेदारियां और पारदर्षिता के प्रति और संवेदनशीलता लाना।
- लोगों के प्रति अधिकारियों के रवैये को सहयोगपूर्ण बनाने के लिए कार्रवाई होनी चाहिए।
- राशन संबंधित समस्याओं के निवारण हेतु सक्रिय रूप से कार्रवाई करना।
- राशन दुकानों से पूरा राशन उपलब्ध कराने के लिए ठोस कदम उठाना।
- पब्लिक ऑडिट के लिए दिए गए दिनों पर दैनिक बिक्री रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर व कैश मेमो मुहैया कराना।

हम अपनी ज़रूरतों को बयां करते हुए उम्मीद करते हैं कि हमारे इन कड़वे अनुभवों को ध्यान में रखते हुए कुछ सुधार लाए जाऐंगे जिससे आम जनता मानवीय और बुनियादी हक को प्राप्त कर लाभान्वित हो। ■